

मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1998 सत्र

विनिक बजारी सूची

सोमवार, दिनांक 20 अप्रैल, 1998 (वैत्र 30, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

प्रथमतः वितरित सूची में समिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर किये जायेगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, चौधरी राकेश सिंह, श्री सोनेराम कुशावाह, सदस्य, भिणड जिले में डाकुओं द्वारा अपहरण की घटित घटनाओं की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री मधुरा प्रसाद पटेल, सदस्य, सतना कृषि उपज मण्डी द्वारा कृषकों के उपज का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

उ. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती जून चौधरी, सभापति, भिलाइओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिलि का अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

4. राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य

श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, संशोधित ग्रेनाइट खनिज नीति के संबंध में वक्तव्य देंगे।

5. ज्ञासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 8 सन् 1998) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(2) श्री हरवंश सिंह, पंचायत पर्व यामीन विकास मंत्री, मध्यप्रदेश मैहर शारदा देवी मेला विधेयक, 1998 (क्रमांक 11 सन् 1998) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास मंत्री, मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 12 सन् 1998) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

6. वर्ष 1998-99 के आय व्ययक पर सामान्य अर्था (क्रमशः).

भोपाल :
दिनांक : 19 अप्रैल, 1998

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा